उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1472 **/गोपनीय/2019** **जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019**
दो–2–9/97

भारतीय संविधान के अनुच्छेद **235** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :–

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**श्री बलराज कुमार पालोदा**, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर।	इंदौर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

23.12.19
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 1473 **/गोपनीय/2019** **जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019**
दो–2–9/97

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को उनके विभाग के आदेश फा. क्रमांक 6440/21–ब(दो), दिनांक 13.12.2019 के संबंध में सूचनार्थ हेतु अग्रेषित।

2. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भेपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।

3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।

4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश–ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

5. **श्री बलराज कुमार पालोदा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला इंदौर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित।** वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर **दिनांक 31.12.2019 तक** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

6. **जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर **दिनांक 31.12.2019 तक** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

7. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर–452001/जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(5) सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमैंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(6) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (Examination & I.L.R.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(7) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (प्रशासन)/ (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2)/(आई0एल0)/ रजिस्ट्रार–सह–सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(8) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

8. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

9. रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

10. माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

11. माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

12. माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

13. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

14. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg.(IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01 / 03 / 2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

23.10.19

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल